

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दोसा (राज.)

मु.न. 3/5/18

सरकार

बनाम

श्री: ~~महेश्वरी डा. राजेश्वरी~~

~~जोती जोशी का पती~~

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 27.2.18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण धृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री ~~महेश्वरी~~ पुत्र श्री ~~राजेश्वरी~~ जाति ~~जोशी~~ निवासी ~~जोशी~~ तहसील महवा ने संवत् 2025 फसल रवि / खरीफ में ग्राम ~~जोशी~~ की राजकीय आराजी खसरा नं. ~~371~~ रकबा ~~1.28~~ किस्म ~~खरीफ~~ भूमि से ~~0.02~~ रकबा पर अनाधिकृत रूप से ~~कब्जा~~ कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण बरने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये ~~0.88~~ का ~~50~~ गुना ~~0.44~~ राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार
तहसील-महवा (दोसा)
तहसीलदार

महवा जिला दोसा

रजिस्टर मा/घ के पेज नं० 27 पर
वर्ष 2017-18 में निलामी
की राशि 445000
की जमा का
दिनांक 5/3/18 तहसील-महवा
लेखाकार
तहसील-महवा